उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–01
संख्याः– 446 -XXX-1-2025–01(जांच)/2025
देहरादूनः दिनांक 03 जून, 2025

–:आदेशः–

जनपद हरिद्वार के ग्राम सराय में नगर निगम, हरिद्वार द्वारा क्रय की गई 2.3070 हैक्टेयर भूमि में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच हेतु श्री रणवीर सिंह चौहान (IAS), सचिव, गन्ना चीनी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 29–05–2025 में **श्री अजयवीर सिंह (PCS)**, तत्कालीन उपजिलाधिकारी, हरिद्वार/हाल उपजिलाधिकारी, भगवानपुर, जनपद, हरिद्वार को उक्त भूमि के विक्रेताओं के साथ सम्भावित मिलीभगत कर अल्प अवधि में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषक घोषित करने, इस हेतु उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन न किये जाने तथा अन्य संगत नियमों का उल्लंघन कर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है, जिसके दृष्टिगत यह स्थापित होता है कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या इतने गम्भीर हैं, कि उनके स्थापित हो जाने के फलस्वरूप, उन्हें उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम–3(ख) में उल्लिखित वृहद दण्ड दिया जा सकता है।

अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के नियम–4(1) में प्रदत्त शक्ति के अधीन **श्री अजयवीर सिंह (PCS)** को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने कीश्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– निलम्बन अवधि में **श्री अजयवीर सिंह (PCS)** को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई अन्य महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा अन्य मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3– उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि श्री अजयवीर सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

Enquiry-khan

4– श्री अजयवीर सिंह (PCS) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप–पत्र निर्गत किये जाने एवं जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

5– श्री अजयवीर सिंह (PCS) निलम्बन अवधि में सचिव–कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या एंव दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित **को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
4. श्री अजयवीर सिंह (PCS), डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, इरला चैक (लेखा–05) अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. इरला चैक (लेखा–05) अनुभाग/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–03।
8. गार्ड फाईल।

(शैलेश बगौली)
सचिव